न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 69/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
खंगारराम पुत्र भाकरराम जाति मेघवाल निवासी गांव तनावडा तहसील लूणी जोधपुर		तहसीलदार लूणी

आदेश

दिनांक 31.10.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि मूल खसरा नम्बर 64 वाके ग्राम तनावडा तहसील लूणी जिला जोधपुर की सरहद में कुल कृषि भूमि रकबा 75 बीघा 15 बिस्वा के रूप में अवस्थित थी जिसमें से पुनमो बेटो मगारो व खातेदार गोविन्दो बेटो मगारो व खातेदार गोविन्दो बेटो दानारो के मध्य भूमि का आपसी विभाजन दिनांक 20.10.1958 को होने पर मूल खसरा नम्बर 64 रकबा 37 बीघा 17 बिस्वा पूनमों पुत्र मगारो के खातेदारी में इन्द्राज रहा और गोविन्दो पुत्र दानारो के नामे 64/1 की खातेदारी इन्द्राज हुई। तत्पश्चात प्रार्थी के दादा पुनमा पुत्र मगारो की खातेदारी के मूल खसरा नम्बर 64 में से 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि रोड में चली गई जिस पर खसरा नम्बर 64/2 के रूप में बट्टा नम्बर दर्ज करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा इन्द्राज हुआ तथा खसरा नम्बर 64/3 व 64/4 के रूप में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि इन्द्राज हुई तथा 64/5 के रूप में 02 बीघा भूमि मगाराम बोचिया वगैरा के नाम इन्द्राज है। कि खसरा नम्बर 64 मूल खसरे की कृषि भूमि रकबा 25 बीघा 2 बिस्वा का प्रार्थी सहखातेदार है व प्रार्थी उक्त खसरे की भूमि पर आज तक काबिज कब्जाकाश्त करता आ रहा है। खसरा नम्बर 64 में भिन–भिन बेचान व अलग–अलग खातेदार होने के कारण मूल खसरा को अलग–अलग बट्टा नम्बरो में विभक्त किया गया और जिसकी तरमीम अनुसार धारा 112 भू राजस्व अधिनियम के तहत नक्शा एंव फिल्ड बुक तैयार की गई जिसके अनुसार धारा 131 भू राजस्व अधिनियम के तहत संधारण की प्रकिया पूर्ण करते हुए राजस्व रेकार्ड का नक्शा तदअनुसार मूल खसरा व उसके बट्टा नम्बरों के दर्शित अनुसार विधिवत तरीके से दर्शाया गया जिसकी प्रार्थी के पास उपलब्ध नक्शा ट्रेस से स्पष्ट ताईद होती है। चूंकि मूल खसरा नम्बर को बाद के राजस्व नक्शा संधारण की स्थिति में बिना खातेदार व प्रार्थी को इतल्ला किये सायद राजस्व अधिकारियों की लिपिकिय त्रुटी के कारण वर्तमान धारा 112 व 131 के संधारण अनुसार गलती से मूल खसरा नम्बर 64 नक्शे में दर्शाया जाना सदभाविक भूल के रूप रह गया है। जिसे दुरूस्त किया जाना नितान्त आवश्यक है। चूंकि मूल खसरा नम्बर 64 के अस्तित्व से ही दूसरे खसरा नम्बर 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, व 64/5 का उदभव एवं निर्माण हुआ है। इस स्थिति में खसरा नम्बर 64 मूल रूप से जो राजस्व अधिकारियों के द्वारा बाद के संधारण नक्शे में मानवीय एवं सदभाविक रूप में दर्शित होने से रह गया है उसको दर्शाया जाना कानूनन लाजमी है जिस हेतु धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे नक्शे के दर्शाने की भूल को सविवेक पर एंव आवेदन पर सुधारा जा सकता है। चूंकि खसरा नम्बर 64 ग्राम तनावड़ा की भूमि अलग–अलग खातेदारो में उनके हिस्से के अनुसार तरमिम की गई लेकिन उक्त तरमिम गलत होने व गैर मुजुदगी में होने से प्रार्थी के खाते में आई कृषि भूमि 25 बीघा 2 बिस्वा की तरमीम भी सही नही हो पाई जो कि नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर जानकारी हुई तब प्रार्थी ने राजस्व अधिकारियों से उक्त संदर्भित निवेदन भी किया परन्तु उस पर कियान्वित कार्यवाही नही हो पाई। प्रार्थी ने हाल ही में एक प्रार्थना पत्र वास्ते प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 64 व 64 के अन्य भाग 64/1 से लगायत 64/5 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु पटवारी मोगड़ा कल्ला के समक्ष आवेदन किया तो पटवारी द्वारा उपलब्ध करवाये

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

गये नक्शे की प्रतिलिपि में मूल खसरा नम्बर 64 के स्थान पर प्रश्न वाचक चिन्ह लगवाकर ट्रेस नक्शा की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई गई तथा मूल खसरा नम्बर 64 व 64/1 के रूप में दर्शाया गया जबकि मूल खसरे के अन्य भाग जैसे खसरा नम्बर 64/2, 64/3, 64/4, व 64/5 को दर्शाया गया है। परन्तु मूल रूप से खसरा नम्बर 64 को दर्शाया नही गया है। उक्त नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। राजस्व रेकर्ड के ट्रेस नक्शे से मूल खसरा नम्बर 64 को नही दर्शाने से प्रार्थी के खातेदारी की भूमि की स्थिति संदेहस्प्रद व भ्रामक हो जाती है कि खसरा नम्बर 64 मूल से ही अन्य खसरो का उदभव एवं निर्माण हुआ है प्रार्थी अपनी उक्त भूमि के नक्शा राजस्व ट्रेस में प्रश्न वाचक चिन्ह की स्थिति में राजस्व दर्शित नक्शे के अनुसार दस्तावेजी रूप से कृषि भूमि के उपयोग–उपभोग से वंचित हो जायेगा। प्रार्थी विधि अनुसार उक्त भूमि का मूल खातेदार है। प्रार्थी ने पूर्व में पटवारी से नक्शा प्रति प्राप्त की थी उसमें प्रार्थी का खसरा नम्बर 64 दर्ज था एवं 64/1 भी अलग से दर्ज था परन्तु प्रार्थी द्वारा हाल ही में प्राप्त की गई प्रतिलिपि में अप्रार्थी द्वारा मूल खसरा नम्बर 64 किस कारण से नही दर्शाया है अप्रार्थी द्वारा ऐसी कोई स्थिति स्पष्ट नही की गई है कि प्रार्थी को पुरानी ट्रेस नक्शा की प्रतिलिपि में मूल खसरा दर्शाना स्पष्ट साबित है। चूंकि प्रार्थी खसरा नम्बर 64 का मूल खातेदार है एवं उक्त खसरे की भूमि पर आज भी प्रार्थी का कब्जा है तथा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में भी प्रार्थी मूल खातेदार के रूप में दर्ज है बावजूद इसके ट्रेस नक्शा में मूल खसरे को नही दर्शाना एक लिपिकिय, सदभाविक व विधिक भूल है जिसे दुरूस्त किया जाना विधि सम्मवत् एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल खसरा नम्बर 64 ग्राम तनावडा पटवार मण्डल मोगडा कल्ला तहसील लूणी जिला जोधपुर के ट्रेस (उपलब्ध) नक्शे में प्रशन वाचक चिन्ह के स्थान पर मूल खसरा नम्बर 64 दर्शाया जावे। अन्य कोई उचित आदेश जो प्रार्थी हित में हो स्वीकार फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम तनावड़ा के राजस्व नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 64 की जगह अंकित प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर मूल खसरा नम्बर 64 दर्शित करने का निवेदन किया जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त विवरणानुसार पटवारी द्वारा जारी नकल नक्शा ट्रेस दिनांक 18.07.2019 में कोई प्रश्न वाचक चिन्ह अंकित नही है व मूल खसरा नम्बर 64 दर्शित है। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट दिनांक 06.08.2019 में 64/1 की तरमीम की जानी उचित बताई जिससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 64/1 की तरमीम की हुई नहीं है। लेकिन इस प्रकरण में संलग्न नकशा ट्रेस में खसरा नम्बर 64 मूल के बीच में जो लाल लाईन डाल रखी है और खसरा नम्बर अंकित नहीं किया है, उसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः इस प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम तनावड़ा में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 64 व खसरा नम्बर 64 के अन्य बट्टा नम्बर 64/1 आदि की भू–अभिलेख नियम 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार तरमीम की कार्यवाही अविलम्ब कर प्रार्थी को भी सूचित करें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

31/10/19

(गोपाल परिहार)
आरएएस
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
आरएएस
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.
एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner